राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनिल कुमार बनाम अवधेश कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	316/2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी अनिल कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10/05/2022 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी	जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विभाजन के वाद के साथ प्रस्तुत विचाराधीन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थ. : अन्तरिम आदेश पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है, जिसमे प्रथमदृष्टया कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है, क्यूकी सहखातेदारान के मध्य विभाजन का वाद पेश होने के उपरान्त उसके निस्तारण होने तक के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के मौके एवं कृषि स्वरूप में कोई परिवर्तन नही हो. को सुनिश्चित किया जाना उचित होता है ताकि पक्षकारान में कोई नवीन विवाद उत्पन्न होकर प्रकरण में पेचीदगीयां उत्पन्न नही हो	ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश न्यायोचित्त प्रतीत होता है	चूँकि अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**अनिल कुमार बनाम अवधेश कुमार** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश दिनांक 10/05/2022 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर